"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014— श्रावण 1, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ परिवहन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे.
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**- ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**-सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, पदों के लिए भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

   परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

4. **आरक्षण**.-(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।
(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।
(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगी।

5. **शिथिलीकरण**.-इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

6. **व्यावृत्ति**.-इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों , भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

7. **निरसन**.-इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 तथा 3 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भर्ती का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा (न्यूनतम एवं अधिकतम)	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में सेवा की अर्ह अवधि	पद जिनसे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	दफ्तरी	03	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 ग्रेड वेतन 1400	100% पदोन्नति द्वारा	–	–	02 वर्ष	5 वर्ष की नियमित सेवा	भृत्य/प्रोसेस सर्वर	(1) अपर परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष (2) संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त – सदस्य (3) उप संचालक, वित्त/सहायक परिवहन आयुक्त –सदस्य (4) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति संवर्ग के नामित अधिकारी – सदस्य	–
2.	भृत्य/ प्रोसेस सर्वर	51	–तदैव–	4750–7440 ग्रेड वेतन 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18–30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–	–	–तदैव–	–

Raipur, the 21st July 2014

NOTIFICATION

No. F 5-3/viii-Trans/2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Transport Class-IV Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Transport Class-IV Service Recruitment Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules:

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

4. **Reservation.-** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

5. **Relaxation.** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

7. **Repeal.**- All rules, corresponding to these rules, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2 and 3)

S. No.	Name of the post	Number of duty posts	Classification	Pay scale and grade pay	Percentage of recruitment through various modes including direct recruitment or through promotion or through transfer	Only for - direct recruitment age limit (minimum and maximum)	Prescribed educational qualification	Period of probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which the promotion is to be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Daftari	03	Class-IV	4750 - 7440 Grade Pay 1400	100% through Promotion	--	--	02 years	5 years of regular service	Peon/ Process Server	(1) Additional Transport Commissioner -Chairman (2) Joint/Deputy Transport Commissioner – Member (3) Deputy Director, Finance/ Asstt. Transport Commissioner-Member (4) Nominated officer of Scheduled Castes / Scheduled Tribes Cadre - Member	-
2.	Peon/ Process Server	51	--do--	4750 - 7440 Grade Pay 1300	100 % through Direct Recruitment	18-30 years (35 years for the domiciles resident of State of Chhattisgarh)	Class 5th passed	---do--	--	--	--do--	-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.